न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/434

मिसल नम्बर– 97/2022

चतुर्भुज जगरवाल पुत्र कंवरलाल प्रजापति उम्र 67 वर्ष निवासी 16–17 महाराजा अग्रसेन नगर बजाज शोरूम के पास, बालाकुण्ड कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.प्रणव जगरवाल पुत्र श्री चतुर्भुज उम्र 36 वर्ष
2.हिमानी शारडीवाल पत्नी प्रणव जगरवाल पुत्री ओमप्रकाश शारडीवाल उम्र 36 वर्ष निवासीगण 16–17 महाराजा अग्रसेन नगर बजाज शोरूम के पास, बालाकुण्ड कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री पंकज कुदेशिया अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी क्रम 1 जो कि आवेदक का पुत्र हैं तथा अप्रार्थी क्रम 2 आवेदक की पुत्रवधू हैं। अप्रार्थी क्रम 1 एकाउण्ट्स व कॉमर्स ट्यूशन (अध्यापन) का कार्य करते हैं जिससे उसे मासिक आय के रूप में 1,00,000/– रूपये आय अर्जित होती हैं। अप्रार्थीगण का विवाह दिनांक 27/11/2015 को सम्पन्न हुई था। प्रार्थी का एक मकान वाके–प्लॉट नं. 16–17, महाराजा अग्रसेन नगर, बजाज शोरूम के पास, बालाकुण्ड, कोटा पर स्थित हैं जिसकी कुल पैमाईश 40 गुणा 50 फुट कुल 2000 वर्गफुट हैं। जिसके प्रथम तल व द्वितीय तल में प्रार्थी के द्वारा होस्टल का व्यवसाय किया जाता हैं जिसे प्रार्थी व उसके परिवार की आजीविका चल सकें और भूतल पर स्वयं निवास करता हैं। साथ ही भूतल पर एक कमरा मय लेट–बॉथ व किचन में अप्रार्थीगण निवास करते हैं। अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थी के साथ विवाह के पश्चात कुछ समय बाद ही क्रूरतापूर्ण हो गया था। प्रार्थी विकलांग होने के कारण अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी को लंगड़ा कहकर पुकारती हैं जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 उसका सहयोग करता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी पर मकान में हिस्सा लेने पर दबाव बनाते हैं और उनके द्वारा दबाव बनाने के लिए गलत व्यवहार किया जाता हैं। यहां तक कि अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी को भद्दी– भद्दी बातें जो पुत्रवधू के लिए शोभनीय नहीं होती हैं, प्रार्थी को कहती हैं। पूर्व में दिनांक 27/11/2020 को एक मैसेज प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 के कथनानुसार लिखकर अप्रार्थी क्रम 2 के पिता को भेजा कि तम्हारी पुत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि "भगवान ने तेरी टांग

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तोड़ दी बहुत अच्छा हुआ'' जो कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 के पिता ओमप्रकाश जी क भेजी जिस पर अप्रार्थी क्रम 2 के पिता ने कहा कि आपने उकसाया होगा। अप्रार्थीगण के दो बच्चे हैं जिनमें एक लड़की एवं लड़का हैं जिनकी उम्र करीब 5 व 2 वर्ष हैं। अप्रार्थीगण आए दिन घर में दंगा–फसाद करते हैं और प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को मानसिक व शारिरिक रूप से परेशान करती हैं। यहां तक कि अप्रार्थीगण के द्वारा इतना परेशान किया जाता हैं कि वह मानसिक संताप में आकर आत्महत्या कर लें। प्रार्थी व उसकी पत्नी को अप्रार्थीगण से जान–माल का खतरा हैं। यह कभी भी गलत अंजाम दे सकते हैं। अप्रार्थी कॉमर्स की क्लास पढ़ाता हैं तथा एलबीएस स्कूल में पढ़ाता हैं। अप्रार्थी क्रम 2 एम.ए. पास हैं जो प्रार्थी को कहती हैं कि तेरी औकात क्या हैं ? गंवार, अनपढ़ कहकर सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार से अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को काफी ओछी भाषा से एक ही परिसर में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हैं। पिछले एक–डेढ़ महिने से अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी किचन को भी अलग कर लिया हैं और जबरदस्ती किचन के अन्दर घुसकर प्रार्थी की पत्नी को धक्का मारती हैं और व्यवधान उत्पन्न करती हैं। प्रार्थी की पत्नी को किचन में खाना नहीं बनाने देती, लड़ाई झगड़ा करती हैं। प्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी से धोखाधड़ी कर रकम हड़पने की युक्ति जुटाता रहता हैं। प्रार्थी के द्वारा उसको रकम अदा करने से मना करने पर वह लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाता हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि अप्रार्थीगण लम्बे समय तक प्रार्थी के साथ रहे तो प्रार्थी व उसकी पत्नी का भविष्य खतरे में आ सकता हैं। इस कारण से यह याचिका पेश की जा रही है। आवेदक को वृद्ध अवस्था में अप्रार्थीगण ने असहाय कर दिया है। अब अप्रार्थी के कृत्यों, धमकियों व गाली–गलौच से प्रार्थी का वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना दुश्वार हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी 16–17, महाराजा अग्रसेन नगर, बजाज शोरूम के पास, बालाकुण्ड, कोटा (राज.) के भूतल में स्थित परिसर जिस पर अप्रार्थीगण निवासरत हैं, से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावें। ताकि प्रार्थी व उसकी पत्नी मकान में शांतिपूर्ण निवास कर सकें तथा सुरक्षित रुप से अपना जीवनयापन कर सकें। यदि अप्रार्थीगण को उक्त परिसर से बेदखल नहीं किया गया तो प्रार्थी व उसकी पत्नी का जीवन संकटमय हो जायेगा।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी कम 1 अकाउन्टस एवं कामर्स ट्यूशन अध्यापन का कार्य करता है, यह तथ्य अस्वीकार है कि अप्रार्थी कम 1 की आय 100,000/– प्रतिमाह है, अप्रार्थीया कम 2 हाउस वाईफ है,उसकी कोई आय नही है, अप्रार्थी कम 1 प्रतिमाह 13000 रू0 मासिंक करीब आय होती है, उक्त आय पर आप्रार्थीगण पति पत्नी व एक पुत्र व पुत्री है, दोनो बच्चे अध्ययन करते है। उक्त मकान प्लाट नं 16–17 वाकै महाराजा अग्रसेन नगर बजाज शोरूम के पास बालाकुण्ड के पास कोटा में कुल प्रथम तल व द्वितीय तल पर 18 कमरे है, जिसमे से अप्रार्थीगण मात्र भूतल पर एक कमरा मय लेट बाथ में ही निवास करते है, ओर शांती पूर्वक निवास करते है, प्रार्थी अपने पिता व ससुर का पूर्ण आदर करते है, उनकी सेवा करते है, कोई किसी प्रकार से दुख तकलीफ नही पहुंचाते है, तथा प्रार्थी स्वयं सरकारी सेवा से रिटायर है, उनको करीब 27 हजार रू. करीब प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है, जिसमे से अप्रार्थीगण को कोई राशि नही देते है, प्रार्थी के तीन संतान है, अप्रार्थी कम 1 प्रणव एवं पुत्री अदिति जो विवाहित है, अपने ससुराल मे रहती है, जो कि कोटा डी एस ओ ओफिस मे प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, तथा एक पुत्र हिमांशु है, जो भी सरकारी सेवा मे एन आई सी एल गरां मे मैनेजर के पद

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पर कार्यरत है, जिनको 75000 रू प्रतिमाह करीब पेमेन्ट मिलता है, मात्र अप्रार्थी कम 1 ही सब मे गरीब है उसकी हालत ऐसी नही है कि वह लाखो रू लगाकर या किराया से परिसर लेकर किराया राशि वहन कर सके, उसकी इतनी हैसियत नही है, प्रार्थी रिश्तेदारो के बहकावे मे आकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त झूठा मुकदमा दायर किया है, जबकि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की पूर्ण रूप से सेवा चाकरी करते है, उनका पूर्ण ध्यान रखते है, ओर मकान के उपर होस्टल चलता है, उसका अप्रार्थी कम 1 ही संभालता है, उसकी आय को प्रार्थी ही प्राप्त करते है। जो कि 55 हजार रू. प्रतिमाह के लगभग है। अप्रार्थीगण ने अपने पिता व ससुर के प्रति कभी कूरतापूर्ण व्यवहार नही रखा, हमेशा उनका आदर किया उनकी पूर्ण सेवा चाकरी की गई। ओर आज भी अप्रार्थीगण अपने पिता व ससुर का पूर्ण आदर करते है, पूर्ण रूपसे सेवा चाकरी करते हुए आ रहे है, ओर करने को तत्पर है। अप्रार्थीगण ने अपने पिता व ससुर के लिए इस प्रकार के शब्द कभी प्रयोग नही किये है, गलत असत्य तथ्य कथन किये है, बल्कि अप्रार्थीगण अपने पिता व ससुर का पूर्ण आदर करते है, उनकी सेवा करते है। अप्रार्थीगण उक्त मकान मे उक्त परिसर मे शांतीपूर्वक निवास करते हुए आ रहे है, उनके द्वारा कभी प्रार्थी को परेशान नही किया न ही प्रताडित किया है, बल्कि हमेशा उनका आदर किया है, सेवा की है। अप्रार्थी कम 1 कॉमर्स की क्लास पढ़ाता है, ओर एल बी एस स्कूल मे पढाता है, तथा अप्रार्थीया कम 2 एम ए पास है, ओर दोनो पति पत्नी पढ़े लिखे है, तो वे लोग अपने पिता ससुर के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अनपढ गवांरो की तरह क्यो करेगे, अप्रार्थीगण पढे लिखे है, ओर अपने पिता व ससुर का पूर्ण आदर करते आ रहे है, ओर करते रहेगे। प्रार्थी के मकान के उपर जो होस्टल चलता है, उसको अप्रार्थी कम 1 ही संभालता है, उसकी आय मे से भी कोई हिस्सा नही लेता है, बल्कि अप्रार्थी कम 1 अपनी अल्प आय से ही अपना घर परिवार चलाता है, प्रार्थी से कभी कोई राशि की मांग नही की है। अप्रार्थी कम 1 को प्रतिमाह 13 हजार रू. आय है, जिससे उसकी पत्नी व दो बच्चे है, बच्चे स्कूल जाते है, इन सबका खर्चा होता है, अप्रार्थी कम 2 मात्र घरेलू कार्य करती है, हाउस वाईफ है, उसकी कोई आय नही है, अप्रार्थीगण की प्रथक से मकान बनाने या किराये का परिसर लेने की हैसियत नही है, यदि अप्रार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो वे रोड पर आ जायेगे, रहने का आवास नही रहेगा, बच्चो का भी जीवन अंधकार मय हो जायेगा, अप्रार्थीगण उक्त परिसर मे शांती पूर्वक निवास करते है, ओर अपने पिता व ससुर का पूर्ण आदर करते है, कभी कोई शिकायत का मौका नही दिया है। छबडा जिला बारा मे प्रार्थी के पेतृक सम्पति प्लाट व दुकान थी, प्रार्थी ने उक्त दुकान का बेचान कर दिया हे, जिससे जो प्रतिफल राशि प्राप्त हुई है, उससे ही उक्त मकान का व होस्टल का निर्माण कराया गया था, इस प्रकार पैतृक सम्पति से जो राशि आई उससे ही प्रार्थी ने मकान व होस्टल का निर्माण कराया है, जिस पर अप्रार्थी कम 1 का भी हक अधिकार है, इस प्रकार प्रार्थी को उक्त मकान के परिसर से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है, वैसे अप्रार्थीगण प्रार्थी अपने ससुर व पिता का आदर करते है, पूर्ण रूपसे सेवा सुश्रुषा करते है, प्रार्थी ने गलत असत्य तथ्यो के आधार पर बहकावे मे आकर झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। अप्रार्थीगण के विवाह में प्राप्त हुए समस्त सोने चांदी के जेवरात जो भी प्रार्थी के पावर पजेशन मे है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी को

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस हेतु उपस्थित नही हुये अतः बहस का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 16–17 महाराजा अग्रसेन नगर बजाज शोरूम के पास, बालाकुण्ड कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें एवं प्रार्थी को अपशब्द नही कहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

22